

**भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3772**  
**गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक)**

**युवा बेरोजगारी**

**3772. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां बेरोजगारी की दर अधिक है; और
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पाने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा कारानन्दलाजे)**

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.1% है। इसके अलावा, कर्नाटक में, इसी अवधि के दौरान इसी आयु वर्ग के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 1.9% और शहरी क्षेत्रों में 4.2% है।

सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा [https://www.mospi.gov.in/download-reports?main\\_cat=ODU5&cat=All&sub\\_category=All](https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All) पर उपलब्ध है।

युवाओं और महिलाओं की रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा [https://dge.gov.in/dge/schemes\\_programmes](https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes) पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [<https://www.ncs.gov.in>] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

पिछले तीन वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की चुनिंदा योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा के दिनांक 03.04.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3772 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय योजनाओं में रोजगार सृजन/लाभार्थी

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम                                                                                                     | 2021-22     | 2022-23     | 2023-24     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1       | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)<br>(ऋण खातों की संख्या)                                                              | 5,37,95,526 | 6,23,10,598 | 6,67,77,013 |
| 2       | प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि<br>(पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या)                                   | 9,88,275    | 13,31,983   | 42,38,329   |
| 3       | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)<br>(अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या)                                        | 8,25,752    | 6,81,336    | 7,12,944    |
| 4       | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी<br>अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (सृजित मानव<br>दिवसों की संख्या लाख में)           | 36310.21    | 29561.65    | 31226.02    |
| 5       | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना<br>(डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)                                 | 45,612      | 1,58,130    | 1,58,096    |
| 6       | ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान<br>(आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)                                         | 14,796      | 21,110      | 23,835      |
| 7       | दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका<br>मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित<br>नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) | 63,519      | 1,20,478    | 40,923      |

स्रोत: संबंधित मंत्रालय